न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

प्रा0प0 सं0
2/156

दायर दिनांक
15.10.2024

निर्णय दिनांक
18.12.2024

1. जगदेव सिंह पूत्र साधुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

——प्रार्थी

बनाम,

1. तुलसीराम नांवलिया पुत्र रामचरण गुप्ता।
2. रमेश चन्द्र पुत्र रामचरण।
3. सत्यनारायण पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता।
4. नरेश चन्द गुप्ता पुत्र सूरजभान गुप्ता।
5. देवाशीष पुत्र नवल किशोर निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा।
6. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

——असल अप्रार्थीगण

7. कप्तान सिंह पुत्र साधुसिंह।
8. जयपाल सिंह पुत्र साधुसिंह।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र साधुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा।

——तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः–

1. श्री रिपूदमन सिंह नरूका वकील प्रार्थी
2. श्री राहुल कुमार गुप्ता वकील असल अप्रार्थीगण

निर्णय

वकील वादी ने मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1094 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, 1097 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, 983 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 984 रकबा 1.6500 हैक्टेयर, 987 रकबा 0.3300 हैक्टेयर कुल खसरा 6 रकबा 3.8600 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी भारतीय सेना से सेवा निवृत व्यक्ति है। असल अप्रार्थीगण प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है। उक्त से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के अलावा असल अप्रार्थी या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है। असल अप्रार्थीगण भू माफिया किस्म के व्यक्ति है और उन्होने स्थानीय प्रशासन, पटवारी, तहसीलदार आदि को अपने बेजा प्रभाव मे लिया हुआ है। असल अप्रार्थीगण उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही होने पर भी वह आये दिन प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा करता है। दिनांक 10.10.2024 को प्रार्थी शांति पूर्वक उक्त आराजी पर काश्त कर रहा था तो अचानक से असल अप्रार्थीगण अपने मिलने वाले गुंडे तत्वो को लेकर जेसीबी सहित मौके पर आ गया और आते ही जेसीबी से खेतो को खोदने लगा। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने एतराज किया तो धमकी दी कि वो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी पर जबरन

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

रास्ता कायम कर निर्माण कार्य करेगें। इस प्रकार असल अप्रार्थीगण झगडा करने पर आमादा हो गये है। असल अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया और प्रार्थी के कब्जे काश्त मे रूकावट व मजाहगत की अथवा आराजी की सकल मौका परिवर्तत कर दिया तो प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण को बहुत भारी नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी। इसलिये ताफैसला वाद अप्रार्थीगण असल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर असल अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1094 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, 1097 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, 983 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 984 रकबा 1.6500 हैक्टेयर, 987 रकबा 0.3300 हैक्टेयर कुल खसरा 6 रकबा 3.8600 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल ना करे, ना ही किसी प्रकार अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य करे, ना ही किसी प्रकार का रास्ता कायम करे व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करे तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण असल जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रश्नगत आराजी से असल अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.65 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीपुरा की आराजी मे कदीमी से चले आ रहे रास्ते मे आराजी खसरा नम्बर 2580/980 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते की आराजी मे निर्मित ग्रेवल सडक को समाप्त कर सम्पूर्ण रास्ते को आराजी खसरा नम्बर 984 मे मिलाकर तारबंदी कर ली तथा हर घर नल योजना मे बिछाई गई पानी की पाईप लाईन को उखाड कर फेक दिया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान मे ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा के सरपंच पद पर है। अप्रार्थीगण असल ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई नाजायज गिरोह नही बना रखा है बल्कि यहा यह उल्लेख करना समीचीन होगा की आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.65 हैक्टेयर ग्राम पृथ्वीपुरा मे से तरफ पूर्व दिशा मेड के साथ तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 2 मीटर चौडा व लगभग 85 मीटर लम्बा रास्ता जा रहा है जो रास्ता ग्राम पृथ्वीपरा से सेढा, मंगतु रामसहाय आदि की ढाणी की ओर जाता है जो कदीमी रास्ता अरसे दराज से चला आ रहा है जिस रास्ते मे व आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा मे से तरफ पूर्व दिशा मेड के साथ तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 2 मीटर चौडा व लगभग 85 मीटर लम्बा रास्ता से ही लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 2580/980 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ता है जिसमे ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा द्वारा वितिय वर्ष 2008–2009 मे नरेगा के अन्तर्गत कार्य कोड 40575 ग्रेवल सडक तिबारा पेमाराम के से सेढा के कुऐं की ओर तक का निर्माण कार्य 1,63,000 रूपये की लागत से किया गया है जिसके एक तरफ पानी की पाईप लाईन हर घर नल योजना के अन्तर्गत बिछाई गई थी, जिस बिछाई गई पाईप लाईन की लागत 48,000 रूपये आई थी जिस पाईप लाईन को कुछ समय पूर्व ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण एवं उनके मिलने वालो ने उखाड कर फेक दिया है एवं बने हुये ग्रेवल सडक को जेसीबी से काटकर उसमे जोत लगाकर अपनी आराजी मे मिला लिया व उस पर तारबंदी करके रास्ते को पूर्ण रूपेण अवरूद्ध कर दिया है जिसके बाबत् ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा के सेढा मंगतु रामसहाय की ढाणी के निवासीयान द्वारा श्रीमान तहसीलदार मालाखेडा को शिकायत की गई थी जिस पर उन्होने जांच कर थानाधिकारी मालाखेडा को अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1469 दिनांक 14.10.2024 जरिये प्रचलित रास्ता पृथ्वीपुरा से सेढा की ढाणी की ओर से जाने वाले रास्ते को चालू करवाया जावे साथ ही जगदेव सिंह जयपालसिंह पुत्रान साधु सिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा को पाबंद किया जावे की उक्त रास्ते को बन्द न करे। आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.65 है0 के तरफ पूर्व दिशा मेढ के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 2 मीटर चौडा व लगभग 85 मीटर लम्बा रास्ता से ही लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 2580/980 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ता है। इस प्रकार बखूबी साबित है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण ने अपने मिलने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर निर्मित ग्रेवल सडक को जेसीबी से रात्रि मे काटकर व उसमे जोत लगाकर अपने आराजी मे मिला लिया व उस पर तारबंदी करके रास्ते को पूर्ण रूपेण अवरूद्ध कर दिया तथा पानी की पाईप लाईन जो हर घर नल योजना के अन्तर्गत बिछाई गई थी उसको भी उखाड कर फेक दिया एवं ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

पंचायत पृथ्वीपुरा से सेढा मंगतु रामसहाय की ढाणी के लगभग 20–25 परिवार जिनमे से अधिकतम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनको बेजा व तंग व परेशान करने के लिये ग्रेवल सडक को क्षतिग्रस्त कर दिया अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी पर जबरन अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नही होता है प्रार्थी को अप्रार्थी के किसी भी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई नापूर्ति होने वाली क्षति कारित नही होती है मौके की रूहू एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष बखूबी आयद व साबित है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है प्रार्थी शुद्ध हस्त न्यायालय मे नही आया है प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाया है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस मे कथन किया गया है कि हाल जमाबंदी नया खाता संख्या 104 एवं आराजी खसरा नम्बर 1094, 1096, 1097, 983, 987 व 984 किता 06 रकबा 3.86 है0 ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा के प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। असल अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 उक्त आराजीयात के ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही विवादित आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई हित निहित है। विवादित आराजी खसरा संख्या 984 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा मे कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही रहा है, ना ही अप्रार्थीगण का कोई खेत क्यार आदि भी उक्त खसरा नम्बर से लगता हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिम्मन संख्या 02 मे, किसी अन्य व्यक्ति के खसरा संख्या 2580/980 रकबा .02 है0 गैर मुमकिन रास्ते की आराजी मे निर्मित ग्रेवल सडक को समाप्त कर सम्पूर्ण रास्ते को प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 984 मे मिलाकर तारबंदी करना तथा हर घर नल योजना मे बिछाई गई पानी की पाईप लाईन को उखाडकर फैकना बताया है जो कि नितान्त असत्य है। असल अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे यह भी मिथ्या दर्ज किया है कि कोई सडक 02 मीटर चौडा व 85 मीटर लम्बा का निर्माण सन् 2008–2009 मे नरेगा के कार्य से करवाया है क्योकि गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 2580/980 रकबा .02 है0 ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा दिनांक 17.11.2022 को कैम्प पृथ्वीपुरा मे न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के आदेश से बना है एव यह रास्ता वर्तमान मे भी हरलाल, रामकिशन इत्यादि की खातेदारी मे दर्ज है। असल अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 राजनितिक पहुॅच वाले व्यक्ति है इन्होने बगैर खाता संख्या 980 के खातेदारो को विधिक सूचना दिये व बगैर मुआवजा कैम्प मे रास्ता दर्ज करवा लिया। जबकि आज भी खसरा संख्या 2580/980, खसरा संख्या 980 का ही एक भाग है तथा कोई रास्ता इत्यादि नही है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 की और से प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 984 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा मे कदीमी से चले आ रहे रास्ते मे आराजी खसरा संख्या 2580/980 रकबा .02 है0 गैर मुमकिन रास्ते की आराजी मे निर्मित ग्रेवल सडक को समाप्त कर सम्पूर्ण रास्ते को आराजी खसरा संख्या 984 मे मिलाकर तारबंदी कर ली। आराजी खसर संख्या 984 की तरफ पूर्व दिशा मे मेड के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 02 मीटर चौडा व 85 मीटर लम्बा कदीमी रास्ता है जिसे ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–2009 मे नरेगा के लिये जारी की गई राशि के तहत ग्रेवल सडक निर्मित की गई है तथा एक तरफ पानी की पाईप लाईन हर घर नल योजना के अन्तर्गत बिछाई गई थी। प्रार्थी द्वारा ग्रेवल सडक व पानी की पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त कर अपनी आराजी मे मिला लिया गया तथा तारबंदी करके पूर्ण रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नजीर डी.एन.जे 2007 (द्वितीय) पेज संख्या 940 पेश की गई।

प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। प्रकरण मे तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य मे विश्लेषण से पूर्व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं संपठित धारा 151 का उद्धवरण यहा प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

212. व्यादेश तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध–(1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथ पत्र या अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाये की:–

(क) कोई सपंति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है तत्सम्बद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने के खतरे मे है या,

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से संबंध कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नही होने देने के अभिप्राय से उस सम्पति को हटाने या उसका व्ययन करने की धमकी देता है या विचार रखता है, तो न्यायालय अस्थाई व व्यादेश जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत जिसके विरूद्ध व्यादेश जारी किया गया हो या जिसकी सम्पति के बारे मे रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्यवाही का निर्णय उसके खिलाफ हो जाने की दशा मे, विरोधी पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के लिये ऐसी रकम, जो न्यायालय तय करें, की नगद जमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा कराने पर न्यायालय व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति की आज्ञा, यथास्थिति को वापस ले सकेगा।

आदेश 39 अस्थाई व्यादेश और अन्तरर्वर्ती आदेश – (1) वे दशाऐं जिनमे अस्थाई व्यादेश दिया जा सकेगा–जहा किसी वाद मे शपथ पत्र द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि–

(क) वाद मे विवादग्रस्त किसी सम्पति के बारे मे यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुचाऐगा या अन्य संक्रात करेगा या डिक्री के निष्पादन मे उसका संदोष विक्रय कर दिया जायेगा, अथवा

(ख) प्रतिवादी अपने लेनदारो को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है,

(ग) प्रतिवादी वादी को वाद मे विवादग्रस्त किसी सम्पति के बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पति के संबधं मे अन्यथा क्षति पहुॅचाने की धमकी देता है, वहा न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिये आदेश द्वारा अस्थाई व्यादेश दे सकेगा, या सम्पति के दुर्व्ययित किये जाने, नुकसान पहुचाये जाने, अन्य संक्रात किये जाने, विक्रय किये जाने, हटाये जाने या व्ययनित किये जाने से अथवा वादी को वाद मे विवादग्रस्त सम्पति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पति के संबंध मे अन्यथा क्षति पहुॅचाने से रोकने और निवारित किये जाने के प्रयोजन से ऐसा अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिये कर सकेगा, जब तक उस वाद का निपटारा न हो जाये या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिये जाये।

(2) भंग की पुनरावर्ति या जारी रखना अवरूद्ध करने के लिये व्यादेश– (1) संविदा भंग करने से या किसी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करने के किसी भी वाद मे, चाहे वाद मे प्रतिकर का दावा किया गया हो या ना किया गया हो, वादी प्रतिवादी की परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने से या तद्रूप क्षति करने से, जो उस संविदा से उदभूत होती हो या उसी सम्पति या अधिकार से संबंधित हो, अवरूद्ध करने के अस्थाई व्यादेश के लिये न्यायालय से आवेदन, वाद प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय और निर्णय के पहले या पश्चात् कर सकेगा। (2) न्यायालय ऐसा व्यादेश, ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे मे, लेखा करने के बारे मे, प्रतिभूति देने के बारे मे ऐसे निबंधनो पर या अन्यथा, जो न्यायालय ठीक समझे, आदेश द्वारा दे सकेगा।

अस्थाई व्यादेश दिये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति आवश्यक है–

(1) वादी/प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है.

(2) वादी/प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हो सकती है तथा,

(3) वादी/ प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी व तरतीबी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 104 खसरा संख्या 1094, 1096, 1097, 983, 987 व 984 कुल किता 06 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे तहसीलदार मालाखेडा के पत्र क्रमांकः–राजस्व/24/1469 दिनांक 14.10.2024 मे थानाधिकारी मालाखेडा को पृथ्वीपुरा सेढा की ढाणी की और प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध करने पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने हेतु लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा भी लिखित बहस मे

उप खण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज.

खसरा संख्या 980 के खातेदारो को बिना विधिक सूचना दिये गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 2580/980 रकबा .02 है0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के आदेश से कायम होना तथा मौके पर खसरा संख्या 2580/980, खसरा संख्या 980 का ही एक भाग होना तथा कोई रास्ता ना होने का कथन किया है, जिससे स्पष्ट है कि उभयपक्ष मे विवाद खसरा संख्या 2580/980 गैर मुमकिन रास्ते से संबंधित है तथा खसरा संख्या 2580/980 के संबंध मे ना तो प्रार्थी ने कोई अनुतोष चाहा है ना ही खसरा संख्या 2580/980 के खातेदार काश्तकार को पत्रावली मे आवश्यक पक्षकार बनाया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 483/2006 वल्लभ दर्शन होटल प्राईवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण मे दिनांक 29.05..2007 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहा प्रासंगिक है:—

"सिविल प्रक्रिया संहिता 1908—आदेश 39 नियम 1 व 2—व्यादेश—अपीलार्थी अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दे रहा, जिसके द्वारा वादी के व्यादेश आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा पक्षकारो को सम्पति के संबंध मे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया—विक्रय विलेख रद्धकरण के लिये वाद—विचारण न्यायालय ने वादी के किसी हक या अधिकार को बनाये बिना ही यह अभिनिर्धारित किया की वादी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है—विचारण न्यायालय ने अविवादित दस्तावेजो की परीक्षा नही की—विचारण न्यायालय द्वारा सभी सारभूत तथ्यों तथा हस्तक्षेपो को नजरअंदाज करके आदेश पारित किया—वादी सम्पति पर स्वामित्व या अधिकार तथा हित सिद्ध करने मे विफल रहा— वादी ने अपीलार्थी के विरूद्ध वाद, विक्रेय विलेख के निष्पादन के चार वर्षो बाद, दायर किया—निर्णित, विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया"

इस प्रकार उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त व तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये आवश्यक शर्तो की पूर्ति नही होने से विचारणीय नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

यह निर्णय आंज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा